(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4032–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 417/12–13/अपील.

नाहर सिंह पिता अंतर सिंह राजपूत
निवासी ग्राम निमाडी
तहसील खाचरौद जिला उज्जैन .....आवेदक

विरूद्ध

यशोदाकुंवर पति किशनसिंह राजपूत
निवासी ग्राम निमाडी
तहसील खाचरौद जिला उज्जैन .....अनावेदक

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.एल. पाठक, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/14 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 9/20–2–1994 में पारित बटवारा आदेश दिनांक 25–3–1994 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खाचरौद जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 30/अपील/10–11 दर्ज कर दिनांक 15–5–13 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का बटवारा आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के

समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 1–11–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारा आदेश नामान्तरण पंजी पर पारित नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा एवं नामान्तरण आदेश एकसाथ पारित किये गये हैं, जबकि बटवारे की कार्यवाही संहिता की धारा 178 एवं नामान्तरण की कार्यवाही संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत किये जाते हैं और उक्त दोनों ही धाराओं के प्रावधान पृथक–पृथक हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारे की कार्यवाही में फर्द बटान तैयार किया जाता है, और उस पर आपत्ति आमंत्रित कर बटवारा आदेश पारित किया जाता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में आवेदक को किसी प्रकार की सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश था और क्षेत्राधिकार रहित आदेश को चुनौती देने के लिए समय–सीमा का बन्धन नहीं रहता है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय–सीमा में मान्य कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1994 आर.एन. 302 एवं 1995 आर.एन. 27 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा कब्जे के आधार पर सहमति से बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा लगभग 17 वर्ष विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, और बिना समाधानकारक कारण के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 17 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील में नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत

कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा विधिवत विवेचना की जाकर आदेश पारित किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा होकर आवेदक का खाता पृथक हो चुका है, जिसमें से कुछ भूमि उसके द्वारा विक्रय की जा चुकी है, अतः बटवारा आदेश की जानकारी आवेदक को प्रारंभ से रही है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर यह निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है कि उभय पक्ष विधिवत बटवारा हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में त्रुटि की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–11–2014 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी, खाचरौद जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–5–13 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर